न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 13/2023 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
चूनाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट, निवासी गोरसियों का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बगताराम पुत्र आईदानराम 2. पदमाराम पुत्र आईदानराम 3. गोमाराम पुत्र पुरखाराम 4. चेतनराम पुत्र प्रभूराम 5. दुर्गाराम पुत्र पुरखाराम 6. नेनूदेवी पत्नी अनोपाराम 7. नारणाराम पुत्र पुरखाराम 8. भोमाराम पुत्र पुरखाराम 9. हडूमानराम पुत्र अनोपाराम जाति जाट, निवासी गोरसियों का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रबंधक, दी सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव सवाउ पदमसिंह 11. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 12. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 03.01.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम गोरसियों का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1233/889 रकबा 1.4811 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 9 के खेत खसरा नम्बर 1241/889, 1235/889, 1237/889, 1239/889, 1229/889, 1231/889 आये हुए है तथा संयुक्त खातेदारी का रास्ता खसरा नम्बर 1245/889 रकबा 0.2104 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में मूल खसरा नम्बर 889 थी, जिसका बाद में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करवाया जाकर काबिज काश्त हुए है। हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त सहमति बंटवारा की तरमीम मौके के बिना जांच किये तथा सहमति बंटवारा के संलग्न नक्शा को बिना देखे गलत तरमीम कर दी गई है, जिससे प्रार्थी की ढाणी एवं कब्जा काश्त विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की तरमीम में चली गई है। उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1233/889 व रास्ते के खसरा नम्बर 1245/889 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जा काश्त एवं सहमति बंटवारा के संलग्न प्रस्तुत नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान तरमीम एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है तथा सहमति बंटवारा में प्रस्तावित सहमति नक्शा अनुसार भी भिन्नता है, जिससे संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट सहमति बंटवारा के नक्शा एवं मौके पर कब्जा अनुसार सही होने से मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तथा सहमति बंटवारा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरसियों का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1233/889, 1245/889 रकबा 1.4811, 0.2104 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner